संख्या- 28/2015/1858-प्रो0/51-2015-11(34)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक : 30 जुलाई, 2015

विषय: राज्य अतिथिगण के सेवा-सत्कार पर व्यय हुए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में प्रतिभाग करने वाले मा0 केन्द्रीय मंत्री, तथा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ एवं उत्तराखण्ड के मा0 मुख्य मंत्रीगण व अन्य अधिकारीगण के लखनऊ भ्रमण के दौरान उनके प्रवास व भोजन की व्यवस्था के निमित्त होटल ताज विवान्ता, गोमतीनगर लखनऊ से सम्बन्धित देयक संख्या' 3431516588, दिनांक 04-02-2015, में निम्नलिखित महानुभावों के सम्मुख अंकित धनराशि, जिसका कुल योग रू0 2,85168/- (रूपया दो लाख पिच्यासी हजार एक सौ अरसठ मात्र) है, को आवंटित करते हुए व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हे।

क्रमांक	महानुभाव का नाम	देयक की धनराशि
१	श्री राजनाथ सिंह, माय गृह मंत्रीकेन्द्री 0	रू0 28546.49
२	मा मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश	रू0 22747.97
३	मा मंत्रीमुख्य 0, छत्तीसगढ	रू0 22747.97
४	मा मंत्रीमुख्य 0, उत्तराखण्ड	रू0 47786.04
५	मा मत्रीमुख्य 0, उत्तर प्रदेश	रू0 22527.92
६	श्री एच के दास, सचिव, भारत सरकार	रू0 31377.41
७	श्री सुधीर कुमार, सचिव, भारत सरकार	रू0 13534.32
८	श्री नरोत्तम मिश्रा, मामंत्री 0, मध्य प्रदेश	रू0 13534.32
९	श्री जेनीएन्थो 0सी0, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश	रू0 13534.32
१०	श्री अजय नाथ, अति सचिवमुख्य 0, मध्य प्रेदश	रू0 13534.32
११	श्री विवेक कुमार धन्द, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ	रू0 13534.32
१२	डॉ इन्दिरा हयेश, मामंत्री 0, उत्तराखण्ड	रू0 13534.32
१३	श्री प्रीतम सिंह, मा0 गृह मंत्री, उत्तराखण्ड	रू0 13534.32
१४	श्री एन0 रविशंकर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड	रू0 14694.02
		रू0 2,85,168.06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्टरी स्थापनायें 22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की सूचना सम्बन्धित कोषागार के डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेंटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय-विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर प्रोटोकाल अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूल रूप में वापस किए जा रहे हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार (देयक मूल रूप में)

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 28/2015/1858(01)-प्रो0/51-2015-11(34)/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
२- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
३- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
४- राज्य सम्पत्ति अनुभाग-३ ।
५- सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
६- प्रबन्धक, होटल ताज विवान्ता, गोमतीनगर, लखनऊ।
७- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषित अनुभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।